न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 50/2021 बउनवानी काशी सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं अति.जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी पुत्र श्री सुरजन सिंह राजपूत निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुर सिटी

GCMS No-2021/133

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.7. 2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित हुआ। सहायक लोक सूचना एवं अति.जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 30.4.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जिसको लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक एफ.2(99)सूकाअ/2021/877 दिनांक 13.5.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. प्रार्थी ने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की सेवामे दिनांक 14.4.2021 को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था उस पर की गयी कार्यवाही की सम्पूर्ण जानकारी दी जावे।
2. परिवाद संख्या 10/2019 की सत्य प्रति श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के कार्यालय क्रमांक प.()10/विविध परिवाद/2019/423 दिनांक 10.3.2021 दिलवायी जावे।
3. अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा परिवाद संख्या 10/2019 पर प्रेषित जॉच रिपोर्ट निराधार किन आधार पर प्रेषित की गयी उन आधारो की विस्तृत सत्य जानकारी दी जावे।
4. प्रार्थी की विवादित कृषि भूमि प्रकरण संख्या 150/13 पर माननीय न्यायालय के स्टे के बाद पक्के निर्माण से हो रही क्षतिपूर्ति का जिम्मेदार कौन है सत्य जानकारी दिलावे।
5. गै.मु. रास्ता ख0न0 281 मे मिटटी ग्राम पंचायत अमरगढ द्वारा किन लोगो के कहने से भराई उनके नाम एवं नियम अनुसार की समस्या की जानकारी दिलावे।
6. बीच कृषि भूमि मे आवास से पडौसी खातेदारो की कृषि भूमि मे अग्निजनित हादसो का खतरा रहता है एवं बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बनाना गलत है फिर भी हल्का पटवारी कार्यवाही कि रिपोर्ट क्यो नही करते है की जानकारी दिलावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति.जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/आरटीआई/2021/1527 दिनांक 23.7.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2,3 पर अंकित पत्र एवं परिवाद 10/2019 उनके कार्यालय को प्राप्त नही हुआ [illegible] जॉच रिपोर्ट पत्रांक सतर्कता/20/1153 दिनांक 26.10.2020 से जिला कार्यालय [illegible] भिजवायी गयी थी जिसकी नकल हेतु नियमानुसार शुल्क जमा करवाने हेतु [illegible] 1206 दिनांक 11.6.2021 से अपीलान्ट को लिखा जा चुका है किन्तु अपीलान्ट द्वारा कोई शुल्क जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के खेत के संबंध मे एक जॉच रिपोर्ट जिला कार्यालय को प्रेषित की गया थी यदि अपीलान्ट उसकी प्रति चाहता है तो नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर प्राप्त कर सकता है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

अपीलान्ट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चाही गयी सूचना अपीलान्ट को अभी तक उपलब्ध नही करायी गयी है। ओर ना ही शुल्क जमा करवाने बाबत कोई पत्र प्राप्त हुआ है। अतः सूचना उपलब्ध करवायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:43:05 IST
Reason: SelfAttested

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 30.4.2021 के बिन्दु संख्या 2 व 3 मे उल्लेखित पत्र एवं परिवाद अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के कार्यालय मे आना नही बताया गया है किन्तु कथन के समर्थन मे कोई सबूत प्रस्तुत नही किया है। बिन्दु संख्या 4,5,6 पर चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक है। बिन्दु संख्या 1 की सूचना अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। जहॉ तक शुल्क जमा करवाने बाबत लिखे जाने का प्रश्न है तो अपीलान्ट को यह भी नही बताया कि वांछित सूचना कितने पृष्ठो की है तथा कितनी शुल्क जमा करवायी जानी है। अतः लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो से संबंधित अन्य कोई सूचना यदि आपके कार्यालय मे उपलब्ध हो तो अपीलान्ट को 15 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Sd/-

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:43:05 IST
Reason: SelfAttested